न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 14/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना सामोद

बनाम

1. श्री रामजीलाल पुत्र श्री प्रभातराम जाट निवासी लीला की ढाणी तन बिशनपुरा थाना शाहपुरा जिला जयपुर।
2. श्री हरीराम पुत्र बद्री प्रसाद जाट निवासी बलदेव जी वाली ढाणी तन शाहपुरा थाना शाहपुरा जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 22.12.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना सामोद, जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 21.02.2016 को मुखबिर की सूचना पर म्हार टोल नाके पर अवैध रुप से परिवहन किये जा रहे 800 लीटर राशन के केरोसीन(4 ड्रम) को मय टैम्पू नं. आरजे–52–जीए–0598 के जब्त किया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त केरोसीन का बिना किसी लाईसेंस/परमिट व बिल बिल्टी के भण्डारण व परिवहन किया जा रहा था। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण प्राप्ति से पूर्व दिनांक 02.03.2016 को श्री विनोद कुमार लील ने जरिये अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पलसानिया का वकालातनामा पेश कर स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर सम्बन्धित थाने से केस डायरी तलब की गई जो प्रार्थना पत्र सहित प्राप्त हुई। दिनांक 13.04.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को मय वाहन राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 21.02.2016 को जब्त केरोसीन का अप्रार्थीगण द्वारा अवैध भण्डारण एवं परिवहन किया किया जा रहा था। परिवहन हेतु टैम्पू का उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवायें गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। वाहन चालक से मौके पर पूछा तो बताया कि वो यह केरोसीन डेहरा गांव के राशन डीलर से खरीद कर लाया है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी वाहन के अलावा अन्य जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त जब्त केरोसीन के बिल नहीं दिये तथा केरोसीन की खरीद बेचान का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया, जबकि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3 में पेट्रोल व डीजल का व्यवसाय बिना अनुज्ञा पत्र के किये जाने के संबंध में प्रतिबंध व निर्बन्धन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 800 लीटर राशन का केरोसीन(4 ड्रम) एवं जब्त वाहन टैम्पू नं. आरजे–52–जीए–0598 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।